RBE No. 105/2026

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

No. E(NG)II/2024/RR-1/2Part **New Delhi, dated 20.11.2026**

The General Managers (P),
All Zonal Railways & Production Units,
Chairperson/All Zonal RRBs.

Sub: Recruitment Rules for the post of Senior Section Engineer (SSE) in Pay Level-7 of the 7th CPC Pay Matrix in Civil, Electrical, Mechanical and Signal & Telecom Engineering Departments in Railways.

The Railway Board has decided to introduce Technical Entry Scheme (TES) for induction to the post of Senior Section Engineer (SSE) in Pay Level-7 of 7th CPC Pay Matrix in Civil, Electrical, Mechanical and Signal & Telecom Engineering Departments of Indian Railways. Consequent upon the above decision, Board have reviewed the existing provisions of direct recruitment for the post of Senior Section Engineer (SSE) in Pay Level-7 of the 7th CPC Pay Matrix in Civil, Electrical, Mechanical and Signal & Telecom Engineering Departments in Railways and have decided that henceforth the aforesaid posts will be filled as under: -

i. 5% of posts will be filled through Technical Entry Scheme (TES) from open market through Railway Recruitment Boards,
ii. 15% of posts plus shortfall of above 5% by direct recruitment through Railway Recruitment Boards;
iii. Distribution between the allocation for TES and Direct Recruitment through RRBs may be modified at any stage in future with the approval of Railway Board.
iv. 80% by promotion of staff working in next lower grade.

3. The revised recruitment rules for these posts are enclosed as Annexure-I, II, III and IV.

(U.K Tiwari)
Director, Estt.(N)
Railway Board

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.

3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Railway Board.
5. The Secretary General, IRPOF, RoomNo.268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The General Secretary, AIRPF Association, RoomNo.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Non-Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
12. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), New Delhi.

For Principle Executive Director (IR)
Railway Board

Copy to :PSs toMR, MOSR, MOSR(S)

PPSs to Chairman &CEO, M(F), M(lnfra.), M(T&RS), M(O&BD), DG/HR, DG/RHS, DG/RPF, DG/Safety, Secretary/Railway Board

PPSs to AM(Comml), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech), AM(Plg), AM(Project), AM(PU), AM(Sig), AM(RS), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), PED(HR), PED(Vig.), PED(Infra), PED(IR), PED(Safety), PED(PC), PED/E(NG)

ED(Trg.), ED(MPP), ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDME(W), EDERS(G), EDE(Res), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)I, DE(R), DE(D&A), DE(LL), DE(RRB), DE-II(RRB)

JD(OL), JDE(Rep.), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR), DDE(LR)III, DDE(GR)II, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)I, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT)II, E(RRB), PC-VII, C-VI, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, EG(RR), CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/c-III and Code Revision Cell.

Annexure-I

(A) CIVIL ENGINEERING

The posts of Senior Section Engineer (SSE) in the Pay Level-7 of 7th CPC Pay Matrix in the Civil Engineering Department will be filled as under: -

1. 5% by Technical Entry Scheme (TES) from open market through Railway Recruitment Boards from candidates who have successfully completed 4-year Special Course at Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV).

1.1. Qualification etc. for admission into Special Course at GSV under **Technical Entry Scheme (TES)** from open market through Railway Recruitment Boards, and the contents of the Special Course at GSV, shall be as under: -

a) **Minimum Educational Qualification:** Class 12th Pass with Physics, Chemistry & Mathematics and holding a valid JEE (Mains) Rank issued by NTA for the current admission year. For example, the better of the two JEE (Main) scores/ranks obtained by a candidate in the year 2027 will be considered for shortlisting of applicants for CET for admission at GSV for the academic session 2027-28, and JEE (Main) scores/ranks from previous years will not be considered.
b) **Age Limit**: Between 17 and 24 years with prescribed relaxations for specified categories (as on 1st July of the admission year.)

(Note: As per the scheme for JEE(Main), candidates are allowed to take the exam only in three consecutive years, irrespective of whether they actually appear for the exam or otherwise, with the year in which they pass the Class XIIth exam being counted as the first year.

c) **Medical Fitness Required**: A3 as per Indian Railway Medical Manual.
d) **Special Course**: At Gati Shakti Vishwavidyalaya, Vadodara, for a duration of 4-years in Civil Engineering with specialisation in Rail Engineering for other than TMO and in Civil, Electrical, Mechanical or Electronics & Communication Engineering with specialisation in Rail Engineering for TMO. Selection for the special course shall be based on passing of Common Entrance Test (CET) to be held by RRB and valid JEE (Mains) Rank by NTA. Appointment in Railways as SSE in Pay Level-7 will be only after successfully passing of the Special Course from GSV.
e) **Stipend during Special Course**: Nil.

1.2. Qualification etc. for appointment as SSE under **Technical Entry Scheme (TES)** from open market through Railway Recruitment Boards are as under: -

a) The candidate shall be required to have successfully completed the prescribed 4-year Special Course at GSV leading to a B. Tech in the relevant discipline viz Civil Engineering with specialisation in Rail Engineering for other than TMO and in Civil, Electrical, Mechanical or Electronics & Communication Engineering with specialisation in Rail Engineering for TMO.
b) **Age limit:** Between 20 and 35 years for appointment as SSE, with prescribed relaxations for direct recruitment.

c) **Initial Training (apprenticeship) Duration in Railway Institute**: 12 Months.
d) **Stipend during Initial Training:** monthly stipend as applicable in the case of other direct recruits (apprentices) selected for the post.

2. 15% plus shortfall of above 5% (against Technical Entry Scheme) by direct recruitment through Railway Recruitment Boards;

2.1. Qualification etc. for Direct Recruitment from open market through Railway Recruitment Boards are as under: -

a) **Minimum Educational Qualification:**

S.No.	Category of Post	Deptt.	Pay Level	Minimum Educational Qualification
(1)	Sr. Section Engineer (P.Way) Sr. Section Engineer (Works) Sr. Section Engineer (Bridge) Sr. Section Engineer (Drawing, Design & Estimation)	Civil	Pay Level-7 of 7th CPC Pay Matrix	Four years Bachelor's Degree in (a) Civil Engineering or (b) a combination of any sub stream of basic streams of Civil Engineering from a recognized University/Institute
(2)	Sr. Section Engineer (TMO)	TMO	Pay Level-7 of 7th CPC Pay Matrix	Four years Degree in Civil/Mechanical/Electrical/Electronic/ Instrumentation & Control Engineering from a recognized University/Institute

b) **Age limit:** Between 20 and 35 years with prescribed relaxations for direct recruitment.
c) **Initial Training (apprenticeship) Duration in Railways**: 12 Months.
d) **Stipend during Initial Training:** As prescribed by Railway Board from time to time.

3. 80% by promotion by usual selection procedure.

(Authority Railway Board's letter No. E(NG)II/2001/RR-1/6 dated 29.08.2014 (RB No.92 /2014) and E(NG)II/2024/RR-1/2Part dated 20.11.2026 (RBE No.105/2026))

Annexure-II

(B) ELECTRICAL ENGINEERING

The post of Senior Section Engineer (SSE) in Level 7 of 7thCPC Pay Matrix in Electrical Engineering Department will be filled as under:-

1. 5% by Technical Entry Scheme (TES) from open market through Railway Recruitment Boards from candidates who have successfully completed 4-year Special Course at Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV).

1.1. Qualification etc. for admission into Special Course at GSV under **Technical Entry Scheme (TES)** from open market through Railway Recruitment Boards, and the contents of the Special Course at GSV, shall be as under: -

a) **Minimum Educational Qualification:** Class 12th Pass with Physics, Chemistry & Mathematics and holding a valid JEE (Mains) Rank issued by NTA for the current admission year. For example, the better of the two JEE (Main) scores/ranks obtained by a candidate in the year 2027 will be considered for shortlisting of applicants for CET for admission at GSV for the academic session 2027-28, and JEE (Main) scores/ranks from previous years will not be considered.
b) **Age Limit**: Between 17 and 24 years with prescribed relaxations for specified categories (as on 1st July of the admission year.)

(Note: As per the scheme for JEE(Main), candidates are allowed to take the exam only in three consecutive years, irrespective of whether they actually appear for the exam or otherwise, with the year in which they pass the Class XIIth exam being counted as the first year.

c) **Medical Fitness Required**: A3 as per Indian Railway Medical Manual.
d) **Special Course**: At Gati Shakti Vishwavidyalaya, Vadodara, for a duration of 4-years in Electrical, Mechanical, Electronics & Communication Engineering with specialisation in Rail Engineering. Selection for the special course based on passing of Common Entrance Test (CET) to be held by RRB and valid JEE (Mains) Rank by NTA. Appointment in Railways as SSE in Pay Level-7 only after successfully passing of the Special Course from GSV.
e) **Stipend during Special Course**: Nil.

1.2. Qualification etc. for appointment as SSE under **Technical Entry Scheme (TES)** from open market through Railway Recruitment Boards are as under: -

a) The candidate shall be required to have successfully completed the prescribed 4-year Special Course at GSV leading to a B. Tech in the relevant discipline.
b) **Age limit:** Between 20 and 35 years for appointment as SSE, with prescribed relaxations for direct recruitment.
c) **Initial Training (apprenticeship) Duration in Railways**: 12 Months.
d) **Stipend during Initial Training:** monthly stipend as applicable in the case of other direct recruits (apprentices) selected for the post.

2. 15% plus shortfall of above 5% (against Technical Entry Scheme) by direct recruitment through Railway Recruitment Boards;

2.1. Qualification etc. for Direct Recruitment from open market through Railway Recruitment Boards are as under: -

a) **Minimum Educational Qualification:**

S.No.	Category of Post	Deptt.	Pay Level	Minimum Educational Qualification
(1)	Sr. Section Engineer (Electrical) Sr. Section Engineer (Drawing, Design & Estimation)	Electrical	Pay Level-7 of 7th CPC Pay Matrix	Four years Bachelor's Degree in (a) Mechanical/Electrical /Electronics Engineering OR (b) a combination of any sub stream of basic streams of Mechanical/Electrical/ Electronics Engineering from a recognized University/Institute

b) **Age limit:** Between 20 and 35 years with prescribed relaxations for direct recruitment.
c) **Initial Training (apprenticeship) Duration in Railways**: 12 Months.
d) **Stipend during Initial Training:** As prescribed by Railway Board from time to time.

3. 80% by promotion by usual selection procedure.

(Authority Railway Board's letter No. E(NG)II/2001/RR-1/6 dated 29.08.2014 (RB No.92 /2014) and E(NG)II/2024/RR-1/2Part dated 20.11.2026 (RBE No.105/2026))

Annexure-III

(C) MECHANICAL ENGINEERING

The post of Senior Section Engineer (SSE) in Level 7 of 7th CPC Pay Matrix in Mechanical Engineering Department will be filled as under:-

1. 5% by Technical Entry Scheme (TES) from open market through Railway Recruitment Boards from candidates who have successfully completed 4-year Special Course at Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV).

1.1 Qualification etc. for admission into Special Course at GSV under **Technical Entry Scheme (TES)** from open market through Railway Recruitment Boards, and the contents of the Special Course at GSV, shall be as under: -

a) **Minimum Educational Qualification:** Class 12th Pass with Physics, Chemistry & Mathematics and holding a valid JEE (Mains) Rank issued by NTA for the current admission year. For example, the better of the two JEE (Main) scores/ranks obtained by a candidate in the year 2027 will be considered for shortlisting of applicants for CET for admission at GSV for the academic session 2027-28, and JEE (Main) scores/ranks from previous years will not be considered.
b) **Age Limit**: Between 17 and 24 years with prescribed relaxations for specified categories (as on 1st July of the admission year.)

(Note: As per the scheme for JEE(Main), candidates are allowed to take the exam only in three consecutive years, irrespective of whether they actually appear for the exam or otherwise, with the year in which they pass the Class XIIth exam being counted as the first year.

c) **Medical Fitness Required**: A3 as per Indian Railway Medical Manual.
d) **Special Course**: At Gati Shakti Vishwavidyalaya, Vadodara, for a duration of 4-years in Mechanical, Electrical & Electronics & Communication Engineering with specialisation in Rail Engineering. Selection for the special course based on passing of Common Entrance Test (CET) to be held by RRB and valid JEE (Mains) Rank by NTA. Appointment in Railways as SSE in Pay Level-7 only after successfully passing of the Special Course from GSV.
e) **Stipend during Special Course**: Nil.

1.2. Qualification etc. for appointment as SSE under **Technical Entry Scheme (TES)** from open market through Railway Recruitment Boards are as under: -

a) The candidate shall be required to have successfully completed the prescribed 4-year Special Course at GSV leading to a B. Tech in the relevant discipline.
b) **Age limit:** Between 20 and 35 years for appointment as SSE, with prescribed relaxations for direct recruitment.
c) **Initial Training (apprenticeship) Duration in Railways**: 12 Months.
d) **Stipend during Initial Training:** monthly stipend as applicable in the case of other direct recruits (apprentices) selected for the post.

2. 15% plus shortfall of above 5% (against Technical Entry Scheme) by direct recruitment through Railway Recruitment Boards;

2.1 Qualification etc. for Direct Recruitment from open market through Railway Recruitment Boards are as under: -

a) **Minimum Educational Qualification:**

S.No.	Category of Post	Deptt.	Pay Level	Minimum Educational Qualification
(1)	Sr. Section Engineer (Mech.) Sr. Section Engineer (C&W) Sr. Section Engineer (Drawing, Design & Estimation)	Mechanical	Pay Level-7 of 7th CPC Pay Matrix	Four years Bachelor's Degree in (a) Mechanical/Electrical/Electronics/Manufacturing /Mechatronics/Industrial/Machining/Instrumentation & Control/Tools & Machining/Tools & Die Making/Automobile/Production Engineering OR (b) a combination of any sub stream of basic streams of Mechanical/Electrical/ Electronics/ Manufacturing/Mechatronics/Industrial/Machining/Instrumentation & Control/Tools & Machining/Tools & Die making/ Automobile/ Production Engineering from a recognized University/Institute

b) **Age limit:** Between 20 and 35 years with prescribed relaxations for direct recruitment.
c) **Initial Training (apprenticeship) Duration in Railways**: 12 Months.
d) **Stipend during Initial Training:** As prescribed by Railway Board from time to time.

3. 80% by promotion by usual selection procedure.

(Authority Railway Board's letter No. E(NG)II/2001/RR-1/6 dated 29.08.2014 (RB No.92 /2014) and E(NG)II/2024/RR-1/2Part dated 20.11.2026 (RBE No.105/2026))

Annexure-IV

(D) SIGNAL & TELECOMMUNICATION ENGINEERING

The post of Senior Section Engineer (SSE) in Level 7 of 7th CPC pay matrix in Signal & Telecommunication Engineering Department will be filled as under:-

1. 5% by Technical Entry Scheme (TES) from open market through Railway Recruitment Boards from candidates who have successfully completed 4-year Special Course at Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV).

1.1. Qualification etc. for admission into Special Course at GSV under **Technical Entry Scheme (TES)** from open market through Railway Recruitment Boards, and the contents of the Special Course at GSV, are as under: -

a) **Minimum Educational Qualification:** Class 12th Pass with Physics, Chemistry & Mathematics and holding a valid JEE (Mains) Rank issued by NTA for the current admission year. For example, the better of the two JEE (Main) scores/ranks obtained by a candidate in the year 2027 will be considered for shortlisting of applicants for CET for admission at GSV for the academic session 2027-28, and JEE (Main) scores/ranks from previous years will not be considered.
b) **Age Limit**: Between 17 and 24 years with prescribed relaxations for specified categories (as on 1st July of the admission year.)

(Note: As per the scheme for JEE(Main), candidates are allowed to take the exam only in three consecutive years, irrespective of whether they actually appear for the exam or otherwise, with the year in which they pass the Class XIIth exam being counted as the first year.

c) **Medical Fitness Required**: A3 as per Indian Railway Medical Manual.
d) **Special Course**: At Gati Shakti Vishwavidyalaya, Vadodara, for a duration of 4-years in Electrical, Electronics & Communication Engineering with specialisation in Rail Engineering. Selection for the special course based on passing of Common Entrance Test (CET) to be held by RRB and valid JEE (Mains) Rank by NTA. Appointment in Railways as SSE in Pay Level-7 only after successfully passing of the Special Course from GSV.
e) **Stipend during Special Course**: Nil.

1.2. Qualification etc. for appointment as SSE under **Technical Entry Scheme (TES)** from open market through Railway Recruitment Boards are as under: -

a) The candidate shall be required to have successfully completed the prescribed 4-year Special Course at GSV leading to a B. Tech in the relevant discipline.
b) **Age limit:** Between 20 and 35 years for appointment as SSE, with prescribed relaxations for direct recruitment.
c) **Initial Training (apprenticeship) Duration in Railways**: 12 Months.
d) **Stipend during Initial Training:** monthly stipend as applicable in the case of other direct recruits (apprentices) selected for the post.

2. 15% plus shortfall of above 5% by (against Technical Entry Scheme) direct recruitment through Railway Recruitment Boards;

2.1. Qualification etc. for Direct Recruitment from open market through Railway Recruitment Boards are as under: -

a) **Minimum Educational Qualification:**

S.No.	Category of Post	Deptt.	Pay Level	Minimum Educational Qualification
(1)	Sr. Section Engineer (Signal) Sr. Section Engineer (Tele.) Sr. Section Engineer (Drawing, Design & Estimation)	S&T	Pay Level-7 of 7th CPC Pay Matrix	Four years Bachelor's Degree in (a) Electrical/Electronics/Information Technology/ Communication Engineering or M.Sc. ElectronicsOR (b) a combination of any sub stream of basic streams of Electrical/Electronics/Information Technology/ Communication Engineering from a recognized University/Institute

b) **Age limit:** Between 20 and 35 years with prescribed relaxations for direct recruitment.
c) **Initial Training (apprenticeship) Duration in Railways**: 12 Months.
d) **Stipend during Initial Training:** As prescribed by Railway Board from time to time.

3. 80% by promotion by usual selection procedure.

(Authority Railway Board's letter No. E(NG)II/2001/RR-1/6 dated 29.08.2014 (RB No.92 /2014) and E(NG)II/2024/RR-1/2Part dated 20.11.2026 (RBE No.105/2026))

आरबीई सं.105/2026

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD

सं. ई(एनजी)II/2024/आरआर-1/2पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक 20.11.2026

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
अध्यक्ष/सभी क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड

विषयः रेलों के सिविल, विद्युत, यांत्रिक तथा सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी विभागों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे-मैट्रिक्स के पे लेवल-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद के लिए भर्ती नियम के संबंध में।

रेलवे बोर्ड दवारा भारतीय रेल के सिविल, इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक और सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी विभागों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे-मैट्रिक्स के पे लेवल-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई) के पद पर भर्ती के लिए तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस) शुरू करने का विनिर्णय लिया गया है। उपरोक्त विनिर्णय के परिणामस्वरूप, बोर्ड ने रेलवे के सिविल, विदयुत, यांत्रिक तथा सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी विभागों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे-मैट्रिक्स के पे लेवल-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर सीधी भर्ती के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की है तथा यह विनिर्णय किया है कि उपर्युक्त पद अब से निम्नानुसार रूप से भरे जाएंगे:-

i. खुले बाजार से रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से तकनीकी प्रवेश योजना दवारा 5% पद भरे जाएंगे,
ii. उपर्युक्त 5% में कमी वाले पदों सहित 15% पद रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से सीधी भर्ती दवारा भरे जाएंगे;
iii. तकनीकी प्रवेश योजना तथा रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु आबंटन के मध्य वितरण को भविष्य में किसी भी चरण पर रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकता है।
iv. 80% पदों को अगले निम्न ग्रेड में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति दवारा भरे जाएंगे।

3. इन पदों के लिए संशोधित भर्ती नियम अनुलग्नक-I, II, III तथा IV के रूप में संलग्न हैं।

(यू.के. तिवारी)
निदेशक, स्थापना (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली

3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं .256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं .268, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
6. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, रेलवे बोर्ड नॉन-मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससीएसटी रेलवे इम्लाएसोसइज़ एसोसिएशन/, रेल भवन, नई दिल्ली
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे इम्लाएसोसइज़ फेडरैशन (एआईओबीसीआरईएफ), रेल भवन, नई दिल्ली

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ.सं.)

रेलवे बोर्ड

अनुलग्नक-I

(क) सिविल इंजीनियरी

सिविल इंजीनियरी विभाग में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के पे लेवल-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद निम्नानुसार रूप से भरे जाएंगे:-

1. उन अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने गति शक्ति विश्वविदयालय से 4-वर्षीय विशेष पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है, रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से तकनीकी प्रवेश योजना दवारा 5% पद भरे जाएंगे।

1.1 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से तकनीकी प्रवेश योजना के अंतर्गत **गति शक्ति विश्वविद्यालय** में विशेष पाठयक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता आदि तथा गति शक्ति विश्वविदयालय में विशेष पाठयक्रम की विषय-वस्तु, निम्नानुसार रहेगी:-

(क) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:** भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों सहित कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा वर्तमान प्रवेश वर्ष के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी दवारा जारी वैध जेईई (मेन्स) रैंक होना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ, वर्ष 2027 में अभ्यर्थी दवारा प्राप्त दो जेईई (मेन्स) स्कोर/रैंक में से बेहतर स्कोर/रैंक को शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए गति शक्ति विश्वविदयालय में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदकों के चयन के लिए माना जाएगा, और पिछले वर्षों के जेईई (मेन्स) अंक/रैंक पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) **आयु सीमा:** विशिष्ट कोटियों के लिए निर्धारित छूट सहित अभ्यर्थी की आयु 17 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए (प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार) होनी चाहिए।

(नोट: जेईई (मेन) के लिए योजना के अनुसार, अभ्यर्थियों को केवल लगातार तीन वर्ष में परीक्षा देने की अनुमति है, चाहे वे वास्तव में परीक्षा के लिए उपस्थित हों या नहीं, जिस वर्ष वे कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उसे पहले वर्ष के रूप में गिना जाए।)

(ग) **आवश्यक चिकित्सा अर्हता:** भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के अनुसार ए3।

(घ) **विशेष पाठ्यक्रम:** गति शक्ति विश्वविदयालय, वडोदरा में 4-वर्ष की अवधि हेतु, टीएमओ से इतर रेल इंजीनियरी में विशेषज्ञता सहित सिविल इंजीनियरी में तथा टीएमओ हेतु रेल इंजीनियरी में विशेषज्ञता सहित सिविल, विद्युत, यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरी में। विशेष पाठयक्रम हेतु चयन, रेलवे भर्ती बोर्ड दवारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी दवारा जारी वैध जेईई (मेन्स) रैंक पर आधारित होगा। रेलवे में पे लेवल-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति केवल गति शक्ति विश्वविदयालय से विशेष पाठयक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही की जाएगी।

(ङ) **विशेष पाठ्यक्रम के दौरान वृत्तिका:** शून्य।

1.2. रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से **तकनीकी प्रवेश योजना** के अंतर्गत सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता आदि निम्नानुसार हैं:-

(क्) अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि उसने गति शक्ति विश्वविदयालय से निर्धारित 4-वर्षीय विशेष पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो संबंधित अनुशासन में प्रौदयोगिकी स्नातक की उपाधि प्रदान करता

हो, अर्थात् टीएमओ से भिन्न श्रेणी हेतु रेल इंजीनियरी में विशेषज्ञता सहित सिविल इंजीनियरी में तथा टीएमओ के लिए रेल इंजीनियरी में विशेषज्ञता सहित सिविल, विद्युत, यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी में।

(ख) **आयु सीमा:** सीधी भर्ती के लिए निर्धारित छूट सहित अभ्यर्थी की आयु सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ग) **रेलवे संस्थान में प्रारंभिक प्रशिक्षण (शिक्षुता) की अवधि:** 12 माह।

(घ) **प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका:** पद के लिए चयनित अन्य सीधी भर्ती (शिक्षुता) के मामले में यथा लागू मासिक वृत्तिका।

2. उपर्युक्त 5% में कमी वाले पदों सहित 15% पद (तकनीकी प्रवेश योजना के लिए) रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे;

2.1. रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से खुले बाजार से <u>सीधी भर्ती</u> के लिए अर्हता इत्यादि निम्नानुसार हैं:-

क) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:

क्र.सं.	**पदों की कोटि**	**विभाग**	**पे लेवल**	**न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता**
(1)	सीनियर सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) सीनियर सेक्शन इंजीनियर (वर्क्स) सीनियर सेक्शन इंजीनियर (पुल) सीनियर सेक्शन इंजीनियर (ड्राईंग डिज़ाइन एवं एस्टीमेशन)	सिविल	7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के पे लेवल-7	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से (क) सिविल इंजीनियरी में, अथवा (ख) सिविल इंजीनियरी की मूल शाखाओं की किसी उप-शाखा के संयोजन में, चार वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।
(2)	सीनियर सेक्शन इंजीनियर (टीएमओ)	टीएमओ	7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के पे लेवल-7	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/यांत्रिकी/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक/यंत्रीकरण एवं नियंत्रण इंजीनियरी में चार वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।

(ख) **आयु सीमा:** सीधी भर्ती के लिए निर्धारित छूट सहित 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ग) **रेलवे में प्रारंभिक प्रशिक्षण (शिक्षुता) की अवधि**: 12 माह।

(घ) **प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका:** रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित।

3. सामान्य चयन प्रक्रिया द्वारा 80% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(प्राधिकरण रेलवे बोर्ड का दिनांक 29.08.2014 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2001/आरआर-1/6 (आरबी सं. 92/2014) और दिनांक 20.11.2026 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2024/आरआर-1/2 पार्ट (आरबीई सं. 105/2026))

(ख) विद्युत इंजीनियरी

विद्युत इंजीनियरी विभाग में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के पे लेवल-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद निम्नानुसार रूप से भरे जाएंगे:-

1. उन अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने गति शक्ति विश्वविद्यालय से 4-वर्षीय विशेष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है, रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से तकनीकी प्रवेश योजना द्वारा 5% पद भरे जाएंगे।

1.1. रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से तकनीकी प्रवेश योजना के अंतर्गत **गति शक्ति विश्वविद्यालय** में विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता आदि तथा गति शक्ति विश्वविद्यालय में विशेष पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु, निम्नानुसार रहेगी:-

क) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:** भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों सहित कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा वर्तमान प्रवेश वर्ष के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी वैध जेईई (मेन्स) रैंक होना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ, वर्ष 2027 में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त दो जेईई (मेन्स) स्कोर/रैंक में से बेहतर स्कोर/रैंक को शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदकों के चयन के लिए माना जाएगा, और पिछले वर्षों के जेईई (मेन्स) अंक/रैंक पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख) **आयु सीमा:** विशिष्ट कोटियों के लिए निर्धारित छूट सहित अभ्यर्थी की आयु 17 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए (प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार) होनी चाहिए।

(नोट: जेईई (मेन) के लिए योजना के अनुसार, अभ्यर्थियों को केवल लगातार तीन वर्ष में परीक्षा देने की अनुमति है, चाहे वे वास्तव में परीक्षा के लिए उपस्थित हों या नहीं, जिस वर्ष वे कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उसे पहले वर्ष के रूप में गिना जाए।)

ग) **आवश्यक चिकित्सा अर्हता:** भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के अनुसार ए3।

घ) **विशेष पाठ्यक्रम:** गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा में 4-वर्ष की अवधि हेतु, रेल इंजीनियरी में विशेषज्ञता सहित विद्युत, यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरी में। विशेष पाठ्यक्रम हेतु चयन, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी वैध जेईई (मेन्स) रैंक पर आधारित होगा। रेलवे में पे लेवल-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति केवल गति शक्ति विश्वविद्यालय से विशेष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही की जाएगी।

ङ) **विशेष पाठ्यक्रम के दौरान वृत्तिका:** शून्य।

1.2. रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से **तकनीकी प्रवेश योजना** के अंतर्गत सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता आदि निम्नानुसार हैं:-

क) अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि उसने गति शक्ति विश्वविद्यालय से निर्धारित 4-वर्षीय विशेष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो संबंधित अनुशासन में प्रौद्योगिकी स्नातक की उपाधि प्रदान करता हो।

ख) **आयु सीमा:** सीधी भर्ती के लिए निर्धारित छूट सहित अभ्यर्थी की आयु सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ग) **रेलवे में प्रारंभिक प्रशिक्षण (शिक्षुता) की अवधि**: 12 माह।

घ) **प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका:** पद के लिए चयनित अन्य सीधी भर्ती (शिक्षुता) के मामले में यथा लागू मासिक वृत्तिका।

2. उपर्युक्त 5% में कमी वाले पदों सहित 15% पद (तकनीकी प्रवेश योजना के लिए) रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे;

2.1. रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से खुले बाजार से सीधी भर्ती के लिए अर्हता इत्यादि निम्नानुसार हैं:-

क) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:**

क्र.सं.	पदों की कोटि	विभाग	पे लेवल	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
(1)	सीनियर सेक्शन इंजीनियर (विद्युत) सीनियर सेक्शन इंजीनियर (ड्राईंग, डिज़ाइन एवं एस्टीमेशन)	विद्युत	7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के पे लेवल-7	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से (क)यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी में, अथवा (ख)यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी की मूल शाखाओं की किसी उप-शाखा के संयोजन में, चार वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।

(ख) **आयु सीमा:** सीधी भर्ती के लिए निर्धारित छूट सहित 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ग) **रेलवे में प्रारंभिक प्रशिक्षण (शिक्षुता) की अवधि**: 12 माह।

(घ) **प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका:** रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित।

3. सामान्य चयन प्रक्रिया द्वारा 80% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(प्राधिकरण रेलवे बोर्ड का दिनांक 29.08.2014 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2001/आरआर-1/6 (आरबी सं. 92/2014) और दिनांक 20.11.2026 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2024/आरआर-1/2 पार्ट (आरबीई सं. 105/2026))

(ग) यांत्रिक इंजीनियरी

यांत्रिक इंजीनियरी विभाग में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के पे लेवल-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद निम्नानुसार रूप से भरे जाएंगे:-

1. उन अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने गति शक्ति विश्वविद्यालय से 4-वर्षीय विशेष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है, रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से तकनीकी प्रवेश योजना द्वारा 5% पद भरे जाएंगे।

1.1 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से तकनीकी प्रवेश योजना के अंतर्गत **गति शक्ति विश्वविद्यालय** में विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता आदि तथा गति शक्ति विश्वविद्यालय में विशेष पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु, निम्नानुसार रहेगी:-

क) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:** भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों सहित कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा वर्तमान प्रवेश वर्ष के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी वैध जेईई (मेन्स) रैंक होना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ, वर्ष 2027 में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त दो जेईई (मेन्स) स्कोर/रैंक में से बेहतर स्कोर/रैंक को शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदकों के चयन के लिए माना जाएगा, और पिछले वर्षों के जेईई (मेन्स) अंक/रैंक पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख) **आयु सीमा:** विशिष्ट कोटियों के लिए निर्धारित छूट सहित अभ्यर्थी की आयु 17 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए (प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार) होनी चाहिए।

(नोट: जेईई (मेन) के लिए योजना के अनुसार, अभ्यर्थियों को केवल लगातार तीन वर्ष में परीक्षा देने की अनुमति है, चाहे वे वास्तव में परीक्षा के लिए उपस्थित हों या नहीं, जिस वर्ष वे कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उसे पहले वर्ष के रूप में गिना जाए।)

ग) **आवश्यक चिकित्सा अर्हता:** भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के अनुसार ए3।

घ) **विशेष पाठ्यक्रम:** गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा में 4-वर्ष की अवधि हेतु, रेल इंजीनियरी में विशेषज्ञता सहित यांत्रिक, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरी में। विशेष पाठ्यक्रम हेतु चयन, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी वैध जेईई (मेन्स) रैंक पर आधारित होगा। रेलवे में पे लेवल-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति केवल गति शक्ति विश्वविद्यालय से विशेष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही की जाएगी।

ङ) **विशेष पाठ्यक्रम के दौरान वृत्तिका:** शून्य।

1.2. रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से **तकनीकी प्रवेश योजना** के अंतर्गत सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता आदि निम्नानुसार हैं:-

क) अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि उसने गति शक्ति विश्वविद्यालय से निर्धारित 4-वर्षीय विशेष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जो संबंधित अनुशासन में प्रौद्योगिकी स्नातक की उपाधि प्रदान करता हो।

ख) **आयु सीमा:** सीधी भर्ती के लिए निर्धारित छूट सहित अभ्यर्थी की आयु सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ग) **रेलवे में प्रारंभिक प्रशिक्षण (शिक्षुता) की अवधि**: 12 माह।

घ) **प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका:** पद के लिए चयनित अन्य सीधी भर्ती (शिक्षुता) के मामले में यथा लागू मासिक वृत्तिका।

2. रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा उपर्युक्त 5% में कमी वाले पदों सहित 15% पद (तकनीकी प्रवेश योजना के लिए) भरे जाएंगे;

2.1. रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से खुले बाजार से <u>सीधी भर्ती</u> के लिए अर्हता इत्यादि निम्नानुसार हैं:-

क) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:

क्र.सं.	पदों की कोटि	विभाग	पे लेवल	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
(1)	सीनियर सेक्शन इंजीनियर (यांत्रिक) सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सीएंडडब्ल्यू) सीनियर सेक्शन इंजीनियर (ड्राईंग डिज़ाइन एवं एस्टीमेशन)	यांत्रिक	7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के पे लेवल-7	यांत्रिकी/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/विनिर्माण/मेक्ट्रोनिकी/ औद्योगिक/मशीनिंग/उपकरणीकरण एवं नियंत्रण/टूल्स एवं मशीनिंग/टूल्स एवं डाई मेकिंग/ऑटोमोबाइल/उत्पादन इंजीनियरी में चार वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा (ख) इन मूल शाखाओं की किसी उप-शाखा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिकी/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/विनिर्माण/मेक्ट्रोनिकी/ औद्योगिक/मशीनिंग/उपकरणीकरण एवं नियंत्रण/टूल्स एवं मशीनिंग/टूल्स एवं डाई मेकिंग/ऑटोमोबाइल/उत्पादन इंजीनियरी

(क) **आयु सीमा:** सीधी भर्ती के लिए निर्धारित छूट सहित 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ख) **रेलवे में प्रारंभिक प्रशिक्षण (शिक्षुता) की अवधि:** 12 माह।

(ग) **प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका:** रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित।

3. सामान्य चयन प्रक्रिया द्वारा 80% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(प्राधिकरण रेलवे बोर्ड का दिनांक 29.08.2014 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2001/आरआर-1/6 (आरबी सं. 92/2014) और दिनांक 20.11.2026 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2024/आरआर-1/2 पार्ट (आरबीई सं. 105/2026))

(घ) सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी

सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी विभाग में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के पे लेवल-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई) का पद निम्नानुसार भरा जाएगा:

1. उन अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने गति शक्ति विश्वविद्यालय से 4-वर्षीय विशेष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है, रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से तकनीकी प्रवेश योजना द्वारा 5% पद भरे जाएंगे।

1.1 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से **तकनीकी प्रवेश योजना** के अंतर्गत गति शक्ति विश्वविद्यालय में विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता आदि तथा गति शक्ति विश्वविद्यालय में विशेष पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु, निम्नानुसार रहेगी:-

(क) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:** भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों सहित कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा वर्तमान प्रवेश वर्ष के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी वैध जेईई (मेन्स) रैंक होना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ, वर्ष 2027 में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त दो जेईई (मेन्स) स्कोर/रैंक में से बेहतर स्कोर/रैंक को शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदकों के चयन के लिए माना जाएगा, और पिछले वर्षों के जेईई (मेन्स) अंक/रैंक पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) **आयु सीमा:** विशिष्ट कोटियों के लिए निर्धारित छूट सहित अभ्यर्थी की आयु 17 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए (प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार) होनी चाहिए।

(नोट: जेईई (मेन) के लिए योजना के अनुसार, अभ्यर्थियों को केवल लगातार तीन वर्ष में परीक्षा देने की अनुमति है, चाहे वे वास्तव में परीक्षा के लिए उपस्थित हों या नहीं, जिस वर्ष वे कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उसे पहले वर्ष के रूप में गिना जाए।)

(ग) **आवश्यक चिकित्सा अर्हता:** भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के अनुसार ए3।

(घ) **विशेष पाठ्यक्रम:** गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा में 4-वर्ष की अवधि हेतु, रेल इंजीनियरी में विशेषज्ञता सहित इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरी में। विशेष पाठ्यक्रम हेतु चयन, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी वैध जेईई (मेन्स) रैंक पर आधारित होगा। रेलवे में पे लेवल-7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति केवल गति शक्ति विश्वविद्यालय से विशेष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही की जाएगी।

(ङ) **विशेष पाठ्यक्रम के दौरान वृत्तिका:** शून्य।

1.2. रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से खुले बाजार से **तकनीकी प्रवेश योजना** के अंतर्गत सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता आदि निम्नानुसार हैं:-

(क) अभ्यर्थी ने गति शक्ति विश्वविद्यालय में निर्धारित 4-वर्षीय विशेष पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिससे संबंधित विषय में बी.टेक डिग्री प्राप्त होती हो।

(ख) **आयु सीमा:** सीधी भर्ती के लिए निर्धारित छूट सहित अभ्यर्थी की आयु सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ग) **रेलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण (शिक्षुता) की अवधि:** 12 माह।

(घ) **प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका:** पद के लिए चयनित अन्य सीधी भर्ती (शिक्षुता) के मामले में यथा लागू मासिक वृत्तिका।

2. उपर्युक्त 5% में कमी वाले पदों सहित 15% पद (तकनीकी प्रवेश योजना के लिए) रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे;

2.1. रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से खुले बाजार से सीधी भर्ती के लिए अर्हता इत्यादि निम्नानुसार हैं:-

क) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:

क्र.सं.	पदों की कोटि	विभाग	पे लेवल	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
(1)	सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिगनल) सीनियर सेक्शन इंजीनियर (दूरसंचार) सीनियर सेक्शन इंजीनियर (ड्राइंग डिज़ाइन एवं एस्टीमेशन)	सिगनल एवं दूरसंचार	7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के पे लेवल-7	(क) इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/ सूचना प्रौद्योगिकी/संचार इंजीनियरी में चार वर्षीय स्नातक डिग्री अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स में एम.एससी. अथवा (ख) मूल शाखाओं की किसी उप-शाखा के संयोजन में इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/सूचना प्रौद्योगिकी/संचार इंजीनियरी

ख) **आयु सीमा:** सीधी भर्ती के लिए निर्धारित छूट सहित 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ग) **रेलवे में प्रारंभिक प्रशिक्षण (शिक्षुता) की अवधि:** 12 माह।

घ) **प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका:** रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित।

3. सामान्य चयन प्रक्रिया द्वारा 80% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(प्राधिकरण रेलवे बोर्ड का दिनांक 29.08.2014 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2001/आरआर-1/6 (आरबी सं. 92/2014) और दिनांक 20.11.2026 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2024/आरआर-1/2 पार्ट (आरबीई सं. 105/2026))